कार्यालय प्राचार्य,शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय कोरबा

मो. नं. – 94255–47200, ई–मेलः gevpg1981@gmail.com www.gevpgkrb.ac.in

क्रमांक/ 2102 / स्था./2021/ कोरबा, दिनांक 17/3/ 2021

!! स्कैप नीलामी निविदा आमंत्रण सूचना !!अनुपयोगी

उपसचिव छ.ग. शासन सामन्य प्रशासन विभाग नवा रायपुर का पत्र कमांक एफ–9–4/2020 / 1/5 रायपुर दिनांक 29.02.2020 तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा छ.ग. के पत्र कमांक 407/48/स्था/2020 दिनांक 20.05.2020 के परिपालन में शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा में प्रायोगिक उपकरण अपलेखन योग्य / अनुपयोगी (स्कैप) सामाग्रियों की नीलामी की कार्यवाही (जो है, जहां है, जैसा है, आधार पर) की जानी है। नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/ फर्म आवश्यक शर्ते पूर्ण कर दिनांक 25.03.2021 को समय 2.00 बजे शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा में नीलामी प्रकिया किया जायेगा।

स. क.	सामग्री का विवरण	शासकीय बोली की राशि	अमानत राशि	कार्यावधि	नीलामी का स्थान एवं दिनांक
01	रसायन शास्त्र विभाग की प्रायोगिक उपकरण	6000/–	500/–	07 दिवस	शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा दिनांक 25.03.2021 समय 2.00 बजे
02	भौतिक शास्त्र विभाग की प्रायोगिक उपकरण				
03	प्राणी शास्त्र विभाग प्रायोगिक उपकरण				

नियम एवं शर्तेः–

01. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति अमानत राशि 500.00 (पांच सौ रू) का राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राप्ट प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा के नाम पर देय हो, नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात् 24.03.2021 तक कार्यालयीन समय में जमा करना अनिवार्य है।
02. नीलामी तिथि को शासकीय अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में नीलामी संपन्न की जावेगी
03. उच्चतम बोली स्वीकृत होने की सूचना के तीन दिन के भीतर उच्चतम बोली की संपूर्ण राशि जमा करना होगा। अन्यथा बोली में जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।
04. नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस / अवधि में देखी जा सकती है।
05. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में विभागवार प्रति सामग्री मूल्य प्रस्तावित है। प्रत्येक विभाग के लिये उपकरण की उच्चतम राशि का बोलीदार सफल निविदाकार माना जावेगा।
06. सफल निविदाकार द्वारा सामग्री हेतु प्रस्तुत दर के आधार पर प्रमाणित कुल मूल्य दिनांक 26.03.2021 तक जमा करना एवं सामग्री के व्यय पर दिनांक 27.03.2021 तक उठाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के अभाव में राशि राजसात कर ली जावेगी।
07. प्रथम उच्चतम बोली लगाने वाले को स्वीकृत होने के तीन दिवस के भीतर संपूर्ण राशि नगद जमा कर जहां पर, जैसी हालत में है वहीं से उठाना होगा।
08. प्रथम निविदादाता तीन दिवस के भीतर संपूर्ण निविदा राशि जमा करने में असफल रहता है तो द्वितीय निविदादाता तीन दिवस के भीतर संपूर्ण निविदा राशि जमा करना अनिवार्य होगा। द्वितीय निविदादाता तीन दिवस के भीतर संपूर्ण निविदा राशि जमा करने में असफल रहता है तो तृतीय निविदादाता को संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य है। कमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता द्वारा उपरोक्तानुसार तीन दिवस में निविदा जमा न करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी राशि राजसात कर ली जावेगी।
09. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य, एवं कय/अपलेखन समिति का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

(डॉ. आर.के. सक्सेना)
प्राचार्य,
शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

प्राचार्य,
शासकीय इं. वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ. ग.)

Scanned with CamScanner